AEO

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934
No. 71] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 78(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी (श्रेणी-III के पद) भर्ती नियम, 1971 को, जहां तक उनका संबंध सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में सहायक प्रवर्तन अधिकारी के समूह "ख" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक प्रवर्तन अधिकारी	*425 (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2(9300-34800 रू0) + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री टिप्पणी 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं

					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्न्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता - हॉं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 70% प्रतिनियुक्ति द्वारा 10% जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा 20%, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति- केन्द्रीय सरकार या राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र जो (केन्द्रीय /राज्यों / संघ राज्यों के पुलिस संगठन सहित) से ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं। (ii) जो मूल काडर या विभाग मे वेतन बैंड-2, 9300-34800 और ग्रेड वेतन 4200 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री; और (ii) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित दांडिक/ राजकोषीय अपराधों से निपटने का 2 वर्ष का अनुभव पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार के लिए) में निम्नलिखित होंगे : 1. प्रवर्तन निदेशक- अध्यक्ष 2. विशेष/अपर निदेशक, प्रवर्तन- सदस्य 3. उप सचिव/ निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय- सदस्य टिप्पणी : जहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग के सदस्य कोई नहीं हैं वहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भी एक समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण:1- 01-01-2006, वह तारीख जिसको छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा, पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान, जिसका एक सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है, तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/ वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं। <u>प्रोन्नति -</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और प्रवर्तन निदेशालय से इस निमित्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित वेतन बैंड-2 9300-34800 रू0 और ग्रेड वेतन 4200 रू0 में तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके सहायक/ आशुलिपिक श्रेणी 1 में से या वेतन बैंड-1 5200-20200 रू0 और ग्रेडवेतन 2400 रू0 में नौ वर्ष नियमित सेवा कर चुके अपर श्रेणी लिपिक / आशुलिपिक श्रेणी -2 या सहायक के रूप में एक वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा के अध्यधीन सहायक और अपर श्रेणी लिपिक के रूप में 12 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा या आशुलिपिक श्रेणी-1 के रूप में 1 वर्ष नियमित सेवा के अध्यधीन आशुलिपिक श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के रूप में 12 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता		

5749713-2

सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2- प्रोन्न्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01-01-2006 वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन /वेतनमान में की गयी सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. के-11022/21/2011-एडी-ईडी]

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Directorate of Enforcement, Enforcement Officer and Assistant Enforcement Officer (Class III posts) Recruitment Rules, 1971, in so far as they relate to the post of Assistant Enforcement Officer, except as respects things done or omitted to be done before such sueprsession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Enforcement Officer in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Enforcement Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc..— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, —

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

574 GI/13-3

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Assistant Enforcement Officer.	425*(2012) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gezetted, Non-Ministerial.	PB-2, Rs. 9300-34800 Plus Grade Pay of Rs.4600/-	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date for those applying from Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	A degree from a recognized University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age: No. Educational Qualification: yes.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and posts to be filled by various methods.	In case of Recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits.	70% by direct recruitment. 10% by deputation failing which by direct recruitment. 20% by promotion through limited competitive examination failing which by direct recruitment.	Deputation: Officers from Central or State Government or Union Territories (Including officers from Central or States or Union Territories Police organizations). (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualification and experience:- (i) A degree in any subject from a recognized university; and (ii) two years experience in dealing criminal or fiscal offences relating to Foreign Exchange Management Act, Foreign Exchange Regulation Act or Prevention of Money Laundering Act. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **NOTE:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006,	Group 'B' Departmental Promotion Committee comprising of (For confirmation and for promotion): (i) Director of Enforcement - Chairperson (ii) Special/Additional Director of Enforcement – Member (iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance- Member **Note:** Where none of the members belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, one Group A Officer belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall also be associated as a Member of the Departmental Promotion Committee.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

		the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **PROMOTION:** From amongst Assistant or Stenographer Grade-I with three years regular service in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 or Upper Division Clerk or Stenographer Grade-II with nine years regular service in Pay Band-I, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 or twelve years combined regular service as Assistant and Upper Division Clerk subject to minimum of one year regular service as Assistant or twelve y ears combined regular service as Stenographer Grade-I and Grade-II subject to minimum of one year regular service as Stenographer Grade-I having a degree from recognized University and selected through a limited departmental competitive examination conducted by in this behalf by the Directorate of Enforcement. **NOTE: 1** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **NOTE: 2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.		

[F. No. K-11022/21/2011-Ad. ED]

R. N. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.